न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर
(पीठासीन अधिकारीः— सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)
अपील संख्याः— 12/2023 (18 आयुध अधिनियम 1959) (RCMS No.2023/13)

कृष्णकान्त पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति ब्राहमण निवासी पीली कोठी स्टेशन रोड के पास हिण्डौनसिटी जिला करौली ।

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, करौली।

.....रैस्पोडैन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली दिनांक 13.3.2015

उपस्थितिः—
1. श्री पंकज कुमार वकील अपीलान्ट।

निर्णय

दिनांकः 17.4.2023

उक्त अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली के निर्णय दिनांक 13.03.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि पंचायत आम चुनाव 2015 के दौरान कानून एवं शान्ति व्यवस्था की दृष्टिगत रखते हुऐ जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली ने अपने पत्रांक 9356—9395 दिनांक 29.12.2014 के द्वारा जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों को अपने शस्त्र दिनांक 03.01.2015 से पूर्व संबंधित थाने में जमा कराने के आदेश पारित किये थे। जिसकी सूचना स्थानीय समाचार पत्रों से करायी गयी। पुनः दैनिक भास्कर एवं राष्ट्रदूत के स्थानीय संस्करण दिनांक 14.01.2015 के द्वारा शस्त्र जमा कराने का अन्तिम अवसर दिया गया। पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 12.02.2015 के अनुसार अनुज्ञापत्रधारियों ने अपने शस्त्र जमा नही कराकर आर्म्स एक्ट का उलंघन किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश न्याय/15/1657 दिनांक 13.03.2015 से 20 अनुज्ञापत्रधरियों के शस्त्र अनुज्ञापत्रों को आर्म्स एक्ट 1959 का उलंघन करने पर अग्रिम आदेश तक निलम्बित कर दिया। जिसमें अपीलान्ट का शस्त्र कम सं0 16 पर दर्ज है। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रैस्पोडेन्ट की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय संबंध मूल पत्रावली तलब की गई। रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.03.2015 विधिविरूद्ध एवं तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलान्ट की सुनवाई किये एवं सुनवाई का मौका दिये वगैर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। तहत अदालत को अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व

17.4.2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

काइ माका नहो दिया जो कि प्राकृतिक न्याय के

अपीलान्ट को सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिऐ था। अपीलान्ट को बन्दूक जमा कराने की कोई सूचना जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय द्वारा नहीं दी गई और न ही व्यक्तिगत तामील अपीलान्ट पर कराई गई। किसी विधिवत सूचना/नोटिस के अभाव में नियत दिनांक तक अपीलान्ट अपनी बन्दूक को थाने में जमा नहीं करा सका था। आज्ञा अधीनस्थ न्यायालय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्त योग्य है। जिला मजिस्ट्रेट करौली का अपीलाधीन आदेश आज्ञा की श्रेणी में नहीं आती है। अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञापत्र काफी पुराना है। बिना किसी कारण और मनमाने तरीके से अपीलान्ट के लाईसेंस को निरस्त किया गया है। केवल मात्र पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट का हवाला देकर अपीलान्ट के शस्त्र को निलम्बित किया गया है इसलिऐ आज्ञा दिनांक 13.3.2015 कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। अपीलान्ट के विरूद्ध आज दिनांक तक किसी न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है और ना ही अपीलान्ट ने कभी भी अपने शस्त्र का कोई दुरूपयोग किया है। बावजूद इसके अपीलाधीन आज्ञा देकर अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधान के विपरीत कार्य किया है जो काबिल निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.03.2015 निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल करने के आदेश दिये जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में अपीलान्ट की ओर से अपीलाधीन निर्णय के विरूद्ध मियाद बाहर अपील पेश किए जाने पर उक्त अपील मियाद संबंधी बिन्दु रिजर्व रखते हुए दर्ज रजिस्टर की गई है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के गुणावगुण पर विचार किए जाने से पूर्व मियाद संबंधी बिन्दु को तय किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट की ओर से अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किए जाने हेतु मीमो आफ अपील के साथ दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें उल्लेख किया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 16.01.2023 को होने पर प्रार्थी द्वारा अभिभाषक से कानूनी प्रावधान की जानकारी प्राप्त कर अन्दर मियाद उक्त अपील पेश की गई है। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र का रैस्पोडेन्ट की ओर से न तो कोई जवाब पेश किया गया और न ही कोई काउन्टर शपथ पत्र पेश किया गया है। जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अपीलान्ट को दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक से पूर्व अपीलाधीन निर्णय की जानकारी रही हो। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों पर अविश्वास करने का कोई कारण नजर नहीं आता है। इसके अलावा माननीय राजस्व मण्डल व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा कई नजीरों में इस तरह के सिद्धान्त प्रतिपादित किए गए हैं कि अपीलीय न्यायालय को मियाद संबंधी बिन्दु पर उदार रूख रखना चाहिए तथा

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

तकनीकी आधार पर अपील को खारिज किए जाने से बचना चाहिए। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है तो अपीलाधीन निर्णय संबंधी पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जिला मजिस्ट्रेट करौली द्वारा आदेश क्रमांक न्याय/प.आ.चु/15/9356 दिनांक 29.12.2014 के द्वारा पंचायतराज आम चुनाव 2015 के चुनावों में करौली क्षेत्र में अधिवासित एवं/अथवा विद्यमान शस्त्रधारक चाहे उनके शस्त्र लाइसेन्स जिला क्षेत्र के किसी भी प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो अथवा राज्य के अन्य जिलों अथवा देश के किसी भी क्षेत्र के संबंधित प्राधिकारी से शस्त्र लाइसेन्स जारी किया हुआ हो। उन सभी शस्त्रधारकों एवं शस्त्र लाइसेन्सधारकों को आदेशित किया गया कि वे अपने शस्त्र दिनांक 03.01.2015 से पूर्व आवश्यक रूप से संबंधित एवं/निकटतम पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी को जमा करवाएं और दिनांक 10.02.2015 के पश्चात संबंधित पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी से पुनः प्राप्त किए जा सकेंगे। उक्त आदेश में यह भी उल्लेख किया गया था कि उक्त आदेश की पालना जिस शस्त्रधारकों एवं शस्त्र अनुज्ञाधारकों द्वारा नहीं किया जाना पाया गया उनकें विरूद्ध आर्म्स एक्ट 1959 के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। इस आदेश की प्रति सभी संबंधितों को भिजवाए जाने के साथ–साथ जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी करौली को प्रचार–प्रसार हेतु भिजवाई गई।

जिला मजिस्ट्रेट करौली द्वारा जारी उपरोक्त आदेश के क्रम में जिला पुलिस अधीक्षक करौली ने अपने पत्र क्रमांक 1583 दिनांक 12.02.2015 के द्वारा जिला मजिस्ट्रेट करौली को इस आशय की रिपोर्ट भिजवाई गई कि पंचायत आम चुनाव 2015 के दौरान निम्न लाइसेन्सधारियों द्वारा उनको बार–बार चुनाव दरम्यिान हथियार जमा करने की सूचना देने के बाबजूद अपने हथियार को चुनाव के दौरान थाने में जमा नहीं कराया गया है। अतः लाइसेन्स निरस्त किए जावें। इस पत्र में क्रम संख्या 80 पर अपीलान्ट का नाम भी है।

पुलिस अधीक्षक करौली से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट करौली द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.03.2015 को जारी किया गया। जिसमें उल्लेख किया गया कि उनके कार्यालय की ओर से जारी आदेश दिनांक 29.12.2014 का स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार–प्रसार कराया गया था तथा दैनिक भास्कर एवं राष्ट्रदूत के स्थानीय संस्करण दिनांक 14.01.2015 के द्वारा जमा नहीं कराए गए शस्त्रों को जमा कराने हेतु अन्तिम अवसर प्रदान किया गया था। इसके बाबजूद भी आदेश में वर्णित अनुज्ञापत्रधारियों द्वारा अपना शस्त्र थाने में जमा नहीं कराया गया, जो कि आर्म्स एक्ट 1959 का उल्लंघन है। इस आदेश में क्रम संख्या 16 पर अपीलान्ट का नाम उल्लेखित है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का यह तर्क कि अनुज्ञापत्र में दर्ज शस्त्र को थाने में जमा करवाने की कोई सूचना अपीलान्ट को नहीं दी गई, सारहीन हो जाता है। क्योंकि जिला मजिस्ट्रेट करौली की ओर से जारी आदेश दिनांक 29.12.2014 का जिला जनसम्पर्क अधिकारी के माध्यम से

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

12.5.2015
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

व्यापक प्रचार–प्रसार किया गया है तथा पुलिस अधीक्षक करौली से प्राप्त रिपोर्ट में भी यह उल्लेख किया गया है कि पत्र दिनांक 12.12.2015 में वर्णित अनुज्ञापत्रधारियों को बार–बार चुनाव के दौरान हथियार जमा कराने की सूचना देने के बावजूद अपने हथियार को चुनाव के दौरान जमा नहीं कराया है। इसके अलावा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.03.2015 में भी यह उल्लेख किया गया है कि दिनांक 14.01.2015 के दैनिक भास्कर तथा राष्ट्रदूत के स्थानीय संस्करण में सभी अनुज्ञापत्रधारियों को अपने शस्त्रों को थाने में जमा करवाए जाने हेतु अन्तिम अवसर दिया गया था। इससे यह स्पष्ट है कि पंचायत आम चुनाव 2015 में जिले में शान्तिपूर्वक स्वतंत्र व भय मुक्त मतदान और जिले में कानून व्यवस्था एवं लोक शान्ति बनाए रखने की दृष्टि से जिला मजिस्ट्रेट करौली द्वारा आदेश दिनांक 29.12.2014 जारी किया गया था, जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि आदेश की पालना नहीं किए जाने पर आर्म्स एक्ट 1959 के प्रावधान के अनुसार कार्यवाही की जावेगी। अपीलान्ट द्वारा उक्त आदेश की पालना नहीं किए जाने के कारण अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.03.2015 के द्वारा अन्य अनुज्ञापत्रधारियों के साथ–साथ अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र भी अग्रिम आदेश तक निलम्बित किए जाने का आदेश देते हुए इसमें दर्ज शस्त्र को जब्त सरकार किए जाने का आदेश दिया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैद्यानिकता या अनियमितता नजर नहीं आती है। जहां तक अपीलान्ट के विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं होने अथवा शस्त्र का दुरूपयोग नहीं किए जाने का प्रश्न है तो इस आधार पर अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र निलम्बित नहीं किया गया। इसलिए उक्त तर्क सारहीन हो जाता है। जिला मजिस्ट्रेट करौली द्वारा पंचायत आम चुनाव 2015 के दौरान दिए गए आदेश की पालना अपीलान्ट की ओर से नहीं किए जाने व पुलिस अधीक्षक करौली से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय के द्वारा अपीलान्ट का अनपुज्ञापत्र निलम्बित किया है। इसलिए इसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप किए जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। चूंकि जिला मजिस्ट्रेट करौली द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.03.2015 के द्वारा अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञापत्र को अग्रिम आदेश तक निलम्बित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट जिला मजिस्ट्रेट करौली के समक्ष उसके अनुज्ञापत्र को बहाल किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

अतः अपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.03.2015 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17.4.2023 को सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सॉवर मल शर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर